

सेवा में,

दिनांक : 14.10.2015


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय— पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014/672 से 606, पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2014 के आदेशा-नुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्र. 21/चार/निर्वा.व्यय/2014/1808, कार्यालय का पत्र क्र. 21/चार/निर्वा.व्यय/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर 2014 एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2014 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भारतीय स्वतंत्र पार्टी से पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय संबंधी जानकारी मांगे जाने के विषय में भारतीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा पार्टी के पक्ष में पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. यह कि आज दिनांक तक भारतीय स्वतंत्र पार्टी के पास किसी भी प्रकार का अंशदान से संबंधित बजट नहीं आया है इस लिये हम अंशदान से संबंधित किसी भी प्रकार का रिपोर्ट देने में असमर्थ है।
2. यह कि आज दिनांक तक भारतीय स्वतंत्र पार्टी का खाता नहीं खोला गया है इस लिये हम वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार का रिपोर्ट देने में असमर्थ है।
3. यह कि आज दिनांक तक भारतीय स्वतंत्र पार्टी के द्वारा किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा गया है, इस लिये हम निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी प्रकार का रिपोर्ट देने में असमर्थ है।



अखिलेश सिंह
(राष्ट्रीय अध्यक्ष)
भारतीय स्वतंत्र पार्टी

S-4(D)
20/10

